बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0सं0–भवन / 11 / लोका0(बेगूसराय)–02 / 2013........10471(भ)/ पटना, दिनांक– 24.11.17

:: संकल्प ::

श्री निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध भवन प्रमंडल, बेगूसराय के पदस्थापन काल में वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि में निविदा में अनियमितता एवं सरकारी राजस्व का नुकसान पहूँचाने तथा संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने जैसाकि आरोप प्रपत्र–''क'' में अंतर्विष्ट है, के संबंध में विभागीय पत्रांक–1977(भ0) दिनांक–07.03.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण में आरोप को खंडित करने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

2. अतः श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र–''क'' में वर्णित आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संलग्न अनुबंध (प्रपत्र–''क'') में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, भवन निर्माण विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही संस्थित करने एवं संचालन पदाधिकारी तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

5. श्री निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश निर्गत की तिथि से दस (10) कार्य दिवसों के अन्दर अपना बचाव पक्ष लिखित रूप में उपस्थित हो कर उपलब्ध करायेगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

—(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप(बेतिया)–23 / 2016........10471(भ)........../ पटना, दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः–आरोप प्रपत्र–''क'' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

— सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(बेतिया)–23 / 2016 1047 (अ) / पटना, दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः–आरोप प्रपत्र–''क'' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) / श्री निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत मोहल्ला–वाचस्पति नगर, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

24/11/2017

— सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप(बेतिया)–23 / 20166 1047 (अ) / पटना, दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

24/11/2017

— सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप(बेतिया)–23 / 2016 1047 (अ) / पटना, दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा / संयुक्त संचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी अवर सचिव / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/11/2017

—सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप(बेतिया)–23 / 20166 1047 (अ) / पटना, दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः–माननीय लोकायुक्त के अवर सचिव का पत्रांक–01 / लोका(भवन)–16 / 13 दिनांक–26.07.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2017

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

21/11/17